

प्रेषक,

मनोज कुमार सिंह,  
अपर मुख्य सचिव  
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

समस्त जिलाधिकारी,  
उत्तर प्रदेश।

पंचायती राज अनुभाग-3

लखनऊ: दिनांक: 17 मार्च, 2021

विषय:- त्रिस्तरीय पंचायतों के सामान्य निर्वाचन 2021 हेतु जिला पंचायत अध्यक्ष के पदों का आरक्षण।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक शासन के पत्र संख्या-13/2021/332/33-3-2021-62/2020, दिनांक 12 फरवरी, 2021 द्वारा निर्गत आदेश को निरस्त करते हुए उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत अधिनियम, 1961 व उत्तर प्रदेश क्षेत्र पंचायत तथा जिला पंचायत (स्थानों और पदों का आरक्षण और आवंटन) नियमावली-1994 (यथा संशोधित) के क्रम में निर्गत शासनादेश संख्या-22/2021/656/ 33-3-2021-62/2020 दिनांक 17.03.2021 में प्रावधानित व्यवस्था के अनुसार जिला पंचायत अध्यक्ष के पदों को पंचायतों के सामान्य निर्वाचन वर्ष 2021 हेतु संलग्न सूची में उल्लिखित श्रेणी के लिए आरक्षित व आवंटित घोषित किया जाता है।

2- इस सम्बन्ध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि संलग्न सूची के अनुसार जिला पंचायत अध्यक्ष के पद को आरक्षित करने की सूचना संलग्न रूप पत्र पर समस्त क्षेत्र पंचायत कार्यालय, तहसील कार्यालय, जिलाधिकारी कार्यालय एवं जिला पंचायत कार्यालय के सूचना पट्ट पर प्रदर्शित करते हुए सूचना की एक प्रति शासन को उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें।

संलग्नक:-यथोक्त।

भवदीय,

(मनोज कुमार सिंह)

अपर मुख्य सचिव।

संख्या व दिनांक: तदैव।

प्रतिलिपि: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1- प्रमुख स्टाफ आफिसर, मुख्य सचिव, उत्तर प्रदेश शासन।
- 2- कृषि उत्पादन आयुक्त, उत्तर प्रदेश शासन।
- 3- समस्त मण्डलायुक्त, उत्तर प्रदेश।
- 4- निदेशक, पंचायतीराज, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 5- समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 6- सचिव, राज्य निर्वाचन आयोग, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
- 7- समस्त मण्डलीय उपनिदेशक(पंचायत), उत्तर प्रदेश।
- 8- समस्त अपर मुख्य अधिकारी, जिला पंचायतें, उत्तर प्रदेश।
- 9- समस्त जिला पंचायत राज अधिकारी, उत्तर प्रदेश।
- 10- पंचायतीराज अनुभाग-1/2, उत्तर प्रदेश शासन।
- 11- गार्ड फाइल।

आज्ञा से,

(मनोज कुमार सिंह)

अपर मुख्य सचिव।

पंचायत सामान्य निर्वाचन, 2021 हेतु शासनादेश संख्या-22/2021/656/33-3-2021-62/2020, दिनांक 17 मार्च, 2021 के अनुसार अध्यक्ष, जिला पंचायत के पदों का आरक्षण एवं आवंटन					
क्र.सं.	जिला पंचायत का नाम	जिला पंचायत अध्यक्ष पद हेतु आरक्षित श्रेणी	क्र.सं.	जिला पंचायत का नाम	जिला पंचायत अध्यक्ष पद हेतु आरक्षित श्रेणी
1	शामली	अनुसूचित जाति स्त्री	1	बहराइच	स्त्री
2	बागपत	अनुसूचित जाति स्त्री	2	प्रतापगढ़	स्त्री
3	लखनऊ	अनुसूचित जाति स्त्री	3	जौनपुर	स्त्री
4	कौशाम्बी	अनुसूचित जाति स्त्री	4	सिद्धार्थनगर	स्त्री
5	सीतापुर	अनुसूचित जाति स्त्री	5	गाजीपुर	स्त्री
6	हरदोई	अनुसूचित जाति स्त्री	6	आगरा	स्त्री
			7	सुल्तानपुर	स्त्री
1	रायबरेली	अनुसूचित जाति	8	बुलन्दशहर	स्त्री
2	झांसी	अनुसूचित जाति	9	शाहजहाँपुर	स्त्री
3	औरैया	अनुसूचित जाति	10	मुरादाबाद	स्त्री
4	जालौन	अनुसूचित जाति	11	बलरामपुर	स्त्री
5	बाराबंकी	अनुसूचित जाति	12	अलीगढ़	स्त्री
6	मिर्जापुर	अनुसूचित जाति			
7	लखीमपुर खीरी	अनुसूचित जाति	1	गोण्डा	अनारक्षित
8	चित्रकूट	अनुसूचित जाति	2	प्रयागराज	अनारक्षित
9	कानपुर नगर	अनुसूचित जाति	3	बिजनौर	अनारक्षित
10	महोबा	अनुसूचित जाति	4	उन्नाव	अनारक्षित
			5	मेरठ	अनारक्षित
1	सम्भल	अन्य पिछड़ा वर्ग स्त्री	6	सिमपुर	अनारक्षित
2	बदायूँ	अन्य पिछड़ा वर्ग स्त्री	7	फतेहपुर	अनारक्षित
3	एटा	अन्य पिछड़ा वर्ग स्त्री	8	मथुरा	अनारक्षित
4	बरेली	अन्य पिछड़ा वर्ग स्त्री	9	अयोध्या	अनारक्षित
5	कुशीनगर	अन्य पिछड़ा वर्ग स्त्री	10	देवरिया	अनारक्षित
6	हापुड़	अन्य पिछड़ा वर्ग स्त्री	11	महराजगंज	अनारक्षित
7	वाराणसी	अन्य पिछड़ा वर्ग स्त्री	12	गोरखपुर	अनारक्षित
			13	अमेठी	अनारक्षित
1	आजमगढ़	अन्य पिछड़ा वर्ग	14	श्रावस्ती	अनारक्षित
2	बलिया	अन्य पिछड़ा वर्ग	15	कानपुर देहात	अनारक्षित
3	इटावा	अन्य पिछड़ा वर्ग	16	अमरोहा	अनारक्षित
4	फर्रुखाबाद	अन्य पिछड़ा वर्ग	17	हाथरस	अनारक्षित
5	बौदा	अन्य पिछड़ा वर्ग	18	भदोही	अनारक्षित
6	ललितपुर	अन्य पिछड़ा वर्ग	19	गाजियाबाद	अनारक्षित
7	अम्बेडकरनगर	अन्य पिछड़ा वर्ग	20	कन्नौज	अनारक्षित
8	पीलीभीत	अन्य पिछड़ा वर्ग	21	मऊ	अनारक्षित
9	बस्ती	अन्य पिछड़ा वर्ग	22	कासगंज	अनारक्षित
10	संतकबीर नगर	अन्य पिछड़ा वर्ग	23	मैनपुरी	अनारक्षित
11	चन्दौली	अन्य पिछड़ा वर्ग	24	फिरोजाबाद	अनारक्षित
12	सहारनपुर	अन्य पिछड़ा वर्ग	25	सोनभद्र	अनारक्षित
13	मुजफ्फरनगर	अन्य पिछड़ा वर्ग	26	हमीरपुर	अनारक्षित
			27	गौतमबुद्धनगर	अनारक्षित

- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
- 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।

**रूप-पत्र**

पंचायतों के सामान्य निर्वाचन, 2021 हेतु शासनादेश संख्या-23/2021/ 657/33-3-2021-62/2020 दिनांक 17 मार्च, 2021 द्वारा जिला पंचायत के अध्यक्ष के पद को निम्नलिखित श्रेणी के लिए आरक्षित घोषित किया जाता है:-

पद	जिला पंचायत का नाम	श्रेणी
अध्यक्ष		

हस्ताक्षर- जिलाधिकारी

जनपद-

- 
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
  - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है ।